भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2680

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: महाराष्ट्र में किसान कल्याण योजनाओं के लाभार्थी

2680. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिलों में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई ऐसा जिला अथवा क्षेत्र बचा है जहां किसान कल्याण योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न जिलों में असमान कवरेज के क्या कारण हैं तथा सभी जिलों के किसानों की समान पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य में पीएम-किसान मानधन योजना के अंतर्गत नामांकित और वर्तमान में पेंशन प्राप्त करने वाले किसानों की जिला-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) -** प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा नेट बनाना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना के लिए निधि प्रबंधक है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत किसानों के नामांकन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का उपयोग किया जाता है और योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएससी द्वारा पीएम-केएमवाई योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया गया है। सरकार समय-समय पर किसानों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराने के लिए अभियान का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सहित, छोटे और सीमांत किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत नामांकन इन तथ्यों के अधीन है कि पीएम-केएमवाई योजना एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और यह केवल 18 से 40 वर्ष के प्रविष्टि आयु वर्ग के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए लागू है, जिनकी संख्या कम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) नामक एक समान योजना भी है, जिसे पीएम-केएमवाई के शुभारंभ से पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) - पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है, ताकि सप्लाई चेन का निर्माण हो सके। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान की जाती है।

पीकेवीवाई का जिलेवार डेटा केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि, महाराष्ट्र में पीकेवीवाई योजना की शुरुआत से अब तक की उपलब्धियां (दिनांक 31.10.2025 तक) इस प्रकार हैं:

(i) पीकेवीवाई योजना के तहत महाराष्ट्र में कुल 66,756 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 87,350 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ii) पीकेवीवाई योजना के तहत इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2025 तक महाराष्ट्र को 157.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 31.10.2025 तक इसमें से 17.64 करोड़ रुपये पीकेवीवाई योजना के तहत महाराष्ट्र को जारी किए गए हैं।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) - योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफपीओ के 50% से अधिक सदस्य छोटे एवं सीमांत किसान हैं। भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन योजना जोकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल 589 एफपीओ का गठन किया गया है। इन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के अंतर्गत कुल 3,39,280 किसान लाभार्थी हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 1,33,449 (39%) महिला किसान और 2,71,540 (80%) छोटे एवं सीमांत किसान शामिल हैं।

(घ): जब नामांकित किसान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तब पीएमकेएमवाई योजना के अंतर्गत पेंशन प्रारंभ होती है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में नामांकित किसानों का जिलेवार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएमवाई के तहत नामांकन का जिलेवार विवरण
दिनांक 11.12.2025 तक

क्र. सं.	जिला	पीएमकेएमवाई के तहत नामांकित किसान
1	अहमदनगर	2,577
2	अकोला	2,996
3	अमरावती	4,121
4	औरंगाबाद	2,604
5	बीड	2,614
6	भंडारा	4,362
7	बुलढाना	3,144
8	चंद्रपुर	3,400
9	धुले	1,339
10	गडचिरोली	3,393
11	गोंदिया	2,329
12	हिंगोली	860
13	जलगांव	2,267
14	जालना	2,419
15	कोल्हापुर	1,110
16	लातूर	1,866
17	मुंबई शहर	-
18	मुंबई उपनगर	30
19	नागपुर	2,785
20	नांदेड़	1,768
21	नंदुरबार	1,460
22	नासिक	4,661
23	उस्मानाबाद	1,967
24	पालघर	1,415
25	परभणी	1,630
26	पुणे	2,134
27	रायगड	1,147
28	रत्नागिरि	765
29	सांगली	725
30	सतारा	1,577
31	सिंधुदुर्ग	1,458
32	सोलापुर	2,460
33	ठाणे	1,772
34	वर्धा	4,430
35	वाशिम	2,036
36	यवतमाल	5,117

*****